सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-26.02.2026

◆थाना औराई पुलिस टीम द्वारा ₹15000/- घोषित इनाम गैंगस्टर एक्ट में वांछित गिरोह के शातिर सदस्य को किया गया गिरफ्तार

◆संगठित होकर अपने व अपने गैंग को आर्थिक भौतिक एवं अनुचित दुनियावी लाभ के लिए वाहन चोरी जैसे अपराध करने के गैंग का है सदस्य

◆इनके भय व दहशत से समाज का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने अथवा गवाही देने का नहीं जुटा पाता है साहस

संक्षिप्त विवरण:-

गैंग लीडर जितेन्द्र कुमार भारती पुत्र शिवमूरत भारती निवासी गरथमा थाना सिन्धौरा जिला वाराणसी के गैंग का सदस्य अभियुक्त महेन्द्र कुमार भारती पुत्र शिवमूरत भारती निवासी गरथमा थाना सिन्धौरा जिला वाराणसी एवं गैंग के सदस्यों का एक संगठित गिरोह है। जो अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एव अनुचित दुनियावी लाभ के लिये वाहन चोरी जैसे अपराध कारित कर धन अर्जित करते है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय स्तर पर है। इनके भय व दहशत से समाज का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने अथवा गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनका स्वछन्द रूप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में नहीं है। थाना औराई पर ₹15000/- इनाम घोषित मु0अ0सं0 412/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1986 पंजीकृत किया गया।

जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत *श्री अभिमन्यु मांगलिक,* पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर के विरुद्ध लगातार प्रभावी पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहें विशेष अभियान के तहत थाना गोपीगंज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 412/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1986 से संबंधित वांछित अभियुक्त महेन्द्र कुमार भारती पुत्र शिवमूरत भारती निवासी गरथमा थाना सिन्धौरा जिला वाराणसी को आज दिनांक-26.02.2026 को गश्त/क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिरी

सूचना पर थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा कटका पड़ाव तिराहा से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान संबंधित माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा गैंगस्टर अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त- महेन्द्र कुमार भारती पुत्र शिवमूरत भारती निवासी गरथमा थाना सिन्धौरा जिला वाराणसी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त महेन्द्र कुमार भारती उपर्युक्त का आपराधिक इतिहास निम्नलिखित हैः-

1.मु०अ०सं० 0111/2025 धारा 305 (ख)/317(4) बीएनएस औराई जनपद भदोही

02.मु०अ०सं० 0128/2025 धारा 109(1)/305 (ख)/317 (4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट औराई जनपद भदोही

03.मु०अ०सं० 0024/2025 धारा 305 (क)/331 (4) बीएनएस दुर्गागंज जनपद भदोही

04.मु०अ०सं० 0163/2025 धारा 303(2) बीएनएस गोपीगंज जनपद भदोही

05.मु०अ०सं० 0192/2021 धारा 363/366/376 भादवि व पाक्सो एक्ट सिन्धौरा जनपद वाराणसी

06.मु०अ०सं० 0412/2025 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्टऔराई जनपद भदोही

07.मु०अ०सं० 0029/2025 धारा 305एबीएनएस गोपीगंज जनपद भदोही

08.मु०अ०सं० 0339/2024 धारा 305ए बीएनएस चोलापुर जनपद वाराणसी

09.मु०अ०सं० 0760/2016 धारा 380/411/457 भादवि चोलापुर जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार त्रिपाठी व प्रभारी निरीक्षक चौरी रामसरीख गौतम हे0कां0 संजय दूबे, कां0 विकाश जायसवाल, कां0 दिनेश गौतम, कां0 अजय सिंह,कां0 गुड्डू मद्धेशिया एवं वाहन चालक हे0कां0 एकलाख खां थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

थाना औराई
जनपद भदोही